न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी

कमलेश शर्मा पुत्र रघुवीर शर्मा निवासी थरेट तहसील सेवढा जिला दतिया

.................आवेदक

बनाम

म.प्र.शासन ....अनावेदक

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय सेवढा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 64/अ–68 /13–14 में पारित आदेश दिनांक 20.05.14 के विरूद्ध प्रस्तुत।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरंण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 397 रकवा 0.340 हैक्टेयर स्थित ग्राम थरेट तहसील सेवढा जिला दतिया में स्थित है उक्त विवादित भूमि पर आवेदक के पूर्वज व आवेदक विगत 30–35 वर्ष पूर्व से काविज है तथा उक्त विवादित भूमि पर चार पहिये का ठेला लगाकर चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है।
2. यह क़ि, उक्त विवादित भूमि पर काविज होकर समय–समय पर शासन को अर्थदण्ड भी अदा करते रहे है किन्तु उक्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 248 म.प्र.भूरांजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत कार्य वाही प्रचलित की जाकर जिसमें आवेदक को विधिवत सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नही दिया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर न दिया जाकर मन चाहे तरीके से विधि विपरीत कार्यवाही दिनांक 20.05.2014 को आवेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है किन्तु आवेदक द्वारा जानकारी होने पर दिनांक 29.05.2014 को अपना

2 JUL 2014

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण कमांक 1972–दो/2014 **जिला दतिया**

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
16-07	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार सेवढ़ा जिला दतिया व्दारा प्रकरण कमांक 63 अ–68/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–5–14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालिययर से जनहित याचिका कमांक 2419/2013 में हुये आदेश के कम में अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने तहसीलदार सेवढ़ा को अतिकमित भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश दिये। सेवढ़ा नगर की भूमि सर्वे कमांक 307 रकबा 0.340 है. पर आवेदक का अतिकमण होने के आधार पर तहसीलदार ने आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 63 अ–68/2013–14 पंजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 7–3–14 से अतिक्रामकों को सूचना पत्र जारी करने का निर्णय लिया । अतिक्रामकों को सूचना जारी होने के वाद पेशी 14–3–14 को आवेदक एंव उनके अभिभाषक उपस्थित हुये तथा आगामी पेशी 19–3–14 आडरशीट के हासिये में टीप की। आगामी पेशी 9–5–14 को पुनः अतिक्रामकों को सूचना पत्र जारी करने के आदेश हुये तथा पेशी 20–5–14 सुनवाई हेतु नियत हुई। दिनांक 20–5–14 को आवेदक की

अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेकर प्रकरण शासन पक्ष की साक्ष्य हेतु नियत किया गया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ एंव शासन के पैनल लायर श्री बी.एन.त्यागी के तर्क सुने गये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक के विरूद्ध तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 20–5–14 से एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेकर शासन पक्ष की साक्ष्य हेतु आगामी पेशी नियत की है और इसी अंतरिम आदेश 20–5–14 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर आवेदक ने राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी की है, जबकि तहसीलदार व्दारा प्रकरण का पेटा पूर्ण करके दिनांक 29–5–14 को अंतिम आदेश पारित कर दिया है एंव इस तथ्य को आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान न्यायालय के अभिज्ञान में नहीं लाया गया है। तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 29–5–14 से प्रकरण का अंतिम निराकरण कर देने के कारण विचाराधीन निगरानी प्रचलन योग्य नहीं रही है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन–योग्य न रहने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसीस्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य